Form No.III

फर्द अहमका

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री विनोद कुमार कुमावत वगै. बनाम श्री उगमा उर्फ उगमीलाल कुमावत वगै0

किस्म मुकदमा .....प्रा.पत्र आदेश 09 नियम 09 व धारा 151 सी.पी.सी. प्र.न. 54 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
03.04.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण को जारी सम्मन/नोटिस विधिवत बाद तामील लौटकर प्राप्त, किन्तु नियत सुनवाई पर सुचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण अथवा उनकी और से कोई वैद्य प्रतिनिधि इस प्रार्थनापत्र में अपना पक्ष रखने/पैरवी करने बाबत हाजिर नही आया। ऐसी स्थिति में विरूद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के शिघ्र निस्तारण की भावना से प्रेरित होकर मौजूदा प्रार्थनापत्र में बहस करना चाहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित कलमों को अपनी बहस में समायत करते हुए वादी के नियत सुनवाई दिनांक 17.01.2018 को अस्वस्थ होने तथा वादी के अधिवक्ता मियाद बाधित प्रकरणों में पैरवी के सिलसिले में अन्य कोर्ट में व्यस्थ रहने का कथन रखते हुए, इस प्रार्थनापत्र से सम्बधित राजस्व मूल वाद संख्या 03/2014 निर्णय दिनांक 17.01.2017 जो कि न्यायालय हाजा द्वारा अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर निर्णित किया गया था। न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो पाने का कारण वाजिब, माकूल एंव मजबूरी युक्त होने से प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. को स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र संख्या 03/2014 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश कराना फरमावें। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव मूल राजस्व वाद संख्या 03/2014 का अध्ययन एंव परीक्षण किया गया। प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 सी.पी.सी. पुनः नम्बर पर लिए जाने सम्बधित मूल राजस्व वाद पत्र बाबत प्रस्तुत किया है। राजस्व मूल वाद संख्या 03/2014 दिनांक 17.01.2017 को न्यायालय हाजा द्वारा अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर निर्णित किया गया था। जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने आशय/अनुतोष से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ है। प्रार्थी/अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस व्यक्त ,न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो पाने का कारण वाजिब, माकूल एंव मजबूरी युक्त रहा है। इस कारण एंव आधार पर वादी के वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित एंव आवश्यक है अन्यथा वादी/प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 सपठित धारा 151 जा. दी. स्वीकार किया जाकर वादी के वादपत्र संख्या 03/2014 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के निर्देश के साथ, खारिज होने से पूर्व वादपत्र में नियत चरण यानि विपक्षीगणों की तलबी/जवाबदावा प्रस्तुतिकरण से ही पुनः आरम्भ किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	